प्रेस नोट-
थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी

दिनांक- 19.03.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा फर्जी भूमि संबंधी प्रपत्र लगाकर बीमा क्लेम प्राप्त करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 19.03.2026 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 386/2025 धारा- 338/336(3)/340(2)/318(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रितिक तिवारी उर्फ रानू नि0- ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि मौजा नयागव तहसील व जिला झसी के खाता 204 एवं 695 रकवा 0.158 हे0 पर श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र पं0 रामनारायण शर्मा आदि एवं खाता संख्या 158 गाटा संख्या 695 रकवा 0.158 हे0 पर श्री अनुराग शर्मा पुत्र पं0 विश्वनाथ शर्मा निवासी 371/12 मंगलम सिविल लाईन झांसी की बंजर भूमि पर अभि0 रितिक पुत्र जितेन्द्र निवासी डकोर , तहसील उरई जनपद जालौन द्वारा भूमि संबंधित प्रपत्रो की प्रमाणिकता के बगैर प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर प्रपत्र अपलोड कर मौसम रबी 2024-2025 में वास्तविक भूमि धारक के फर्जी भूमि संबंधित प्रपत्र लगा कर 164386.36 रु0 की फसल क्षतिपूर्ती प्राप्त की गई।

उक्त घटना पर थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/2025 धारा- 338/336(3)/340(2)/318(4) बीएनएस मे संबंधित वांछित अभियुक्त रितिक तिवारी उर्फ रानू नि0- ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 21 वर्ष को आज दिनांक 19.03.2026 को समय करीब 00.10 बजे उ0नि0 श्री पवन जायसवाल मय का0 1710 सद्दाम अली द्वारा मुखबिर की सूचना पर डगरिया तिराहा बिजौली थाना प्रेमनगर, झांसी से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसका पड़ोसी/मित्र पारस नायक पुत्र महेन्द्र नायक निवासी उपरोक्त, इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था। उसके माध्यम से अभियुक्त की मुलाकात कंपनी के जिला कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार सिंह पुत्र दुरेन्द्र सिंह निवासी बिहार से कराई गई।

अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर सुनियोजित ढंग से एक गिरोह बनाकर क्षेत्रीय लोगों को बहला-फुसलाकर व प्रलोभन देकर उनके बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए जाते थे। तत्पश्चात वास्तविक किसानों की खतौनी में नाम व पता परिवर्तित कर अवैध तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जाता था। साथ ही संबंधित व्यक्तियों को आंशिक धनराशि देकर शेष धनराशि आपस में बाँट ली जाती थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1- रितिक तिवारी उर्फ रानू पुत्र जितेन्द्र तिवारी नि0- ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 21 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का स्थान -</u>

डगरिया तिराहा बिजौली थाना प्रेमनगर झांसी

<u>पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. तुलसीराम पाण्डेय प्र0नि0 थाना प्रेमनगर, झाँसी
2. उ0नि0 पवन जायसवाल (चौकी प्रभारी बिजौली)
3. का0 1710 सद्दाम अली